बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी

शासन के पत्र संख्या 541/सत्तर–3–2022 दिनांक 24/02/2022 के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर अपलोड किये जाने के हेतु

1. **विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य :–**

विश्वविद्यालय में प्रवेश, शोध, सम्बद्धता आदि ऑन लाईन किये जाने की प्रकिया संचालित है विश्वविद्यालय द्वारा लगातार प्रदेश में सबसे पहले परीक्षाफल घोषित किये जाने का गौरव प्राप्त है। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय सभी वर्गो एवं सम्प्रदाय को ध्यान में रखते हुये सभी व्यक्तियों को उचित रोजगारपरक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिये कृत संकल्पित है।

ज्ञान की उपयोगी शाखाओं के शिक्षण की व्यवस्था कराना तथा अनुसंधान तथा ज्ञान की वृद्धि तथा प्रसार करना। किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता देना तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों को नियंत्रित करना। उपाधियो, डिप्लोमा, एवं अन्य शैक्षिक, विशिष्टताओं को संस्थित करना। परीक्षा के आधार पर उपाधि प्रदान करना।

2. **अधिकारी एवं उनकी शक्तियां और कर्तव्य :–**

विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी है :–

कुलपति :–कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी है। वह विश्वविद्यालय और उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों पर नियंत्रण रखता है। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों एवं विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करना तथा विश्वविद्यालय में शैक्षिक वातावरण एवं अनुशासन बनाये रखना। कुलपति कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होगा। कुलपति ऐसी शक्तिओं का प्रयोग करेगा जिन्हे परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

प्रतिकुलपति :–कुलपति द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वाहन, एंव कुलपति की अनुपस्थिति में दैनन्दिन कार्यो का निर्वहन करना।

वित्त अधिकारी :– विश्वविद्यालय के बजट को वित्त समिति एवं कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना है तथा विश्वविद्यालय के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना। विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण, भवन, भूमि फर्नीचर तथा उपकरण की अद्यतन पंजिकायें अनुरक्षित करना, अनाधिकृत व्यय एवं अन्य वित्तीय अनिमिताओं की छानबीन करना तथा समय समय पर आडिट कराना एवं वित्त से सम्बन्धित अन्य मामलों का निष्पादित करना।

कुलसचिव :–कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी है जिन्हे विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों का रखरखाव, कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण, अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने का अधिकार प्राप्त है। कुलसचिव सभी समितियों (परीक्षा समिति एवं वित्त समिति को छोडकर) का पदेन सचिव होते है।

परीक्षा नियंत्रक :– परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी है। विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षायें, परीक्षा समिति एवं कुलपति के निर्देशन में सम्पादित कराना उनके आधार पर उपयुक्त अभ्यर्थियों को उपाधियां एवं अंक तालिकायें प्रदान करना तथा परीक्षा एवं गोपनीय अभिलेखों का संरक्षण करना।

संकायों का संकायाध्यक्ष :–

संकाय समितियों की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा समितियों के विभिन्न निर्णयो को लागू कराना। संकाय की वित्तीय एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुलपति के संज्ञान में लाने हेतु उत्तरदायी।

छात्र कल्याण अधिष्ठता :–

छात्रों की यथासम्भव सहायता करना तथा भविष्यलक्षी छात्रों का मार्ग दर्शन, अवकाशों तथा शैक्षिक पर्यटन की सुविधा सुलभ कराना है।

कुलानुशासक :–

विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना।

विभागाध्यक्ष :–

सम्बन्धित विभाग में प्रवेश एवं अन्य दायित्वों का निर्वहन करना तथा विभाग की सुचारू संचालन के लिये उत्तरदायी।

पुस्तकालयाध्यक्ष :–

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय की सुचारू संचालन तथा पुस्तकों का सम्पूर्ण ब्यौरा एवं रख रखाव तथा शोध व शिक्षण को बढावा देने के लिये आवश्यक तरीके अपनाने का दायित्व।

उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव :–

उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयत सेवा) 1975 अधिनियम उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत कुलसचिव, वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के कार्यो में सहयोग तथा कुलपति जी द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्व।

लेखा अधिकारी :–

वित्त अधिकारी के निर्देशन में वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन।

3. **विनिश्चिय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तदायित्व के माध्यम सम्मिलित है :–**

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त कार्यो के निस्तारण एवं सुचारू संचालन हेतु नीति निर्माण, प्रकियाओं का निर्धारण एवं तत्सम्बन्धी निर्णय निम्नलिखित समितियों द्वारा लिये जाते है :–

1. कार्य परिषद, 2. सभा 3. विद्या परिषद 4. वित्त समिति 5. संकाय परिषद 6. प्रवेश समिति
7. परीक्षा समिति

उपरोक्त प्राधिकारियों की शक्तिओं का विस्तृत विवरण उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 व विश्वविद्यालय की परिनियमावली, विनियम में उपलब्ध है।

4. **कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड :–**

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, सम्बद्धता आदि शासन द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत ही सम्पादित किये जाते है।

5. **विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन धारित या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, और अभिलेख**
विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन धारित या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, परिनियम, विनियम एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों में उपलब्ध प्रावधानो के अनुसार किया जाता है।

6. **विश्वविद्यालय के दस्तावेजों जो विश्वविद्यालय द्वारा धारित या उसके नियंत्रण में है प्रवर्गो का विवरण :–**
विश्वविद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं के विभिन्न शैक्षिक एवं गोपनीय अभिलेखों, कार्य परिषद की कार्यवाही, विद्या परिषद की कार्यवाही वित्त समिति की कार्यवाही, पाठयक्रम समितियों की कार्यवाही, संकाय परिषदो की कार्यवाही आदि।

7. **किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है :–**
विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये फीडबैक की व्यवस्था विद्यमान है।

8. **बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमे दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग, रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगा :–**
विभिन्न परिषदों बोर्डो की बैठकों के गठन एवं कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच हेतु विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर प्रदर्शन की व्यवस्था प्रकियाधीन है।

9. **बुन्देखण्ड विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका :–**
विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर उपलब्ध है।

10. **विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की गणना की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपसम्बन्धित है :–**
उ0. प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों, विनियम व शासन के सुसंगत शासनादेशों में विहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11. **विश्वविद्यालय की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट :–**
सुलभ संदर्भ हेतु बजट की प्रति उपलब्ध है।

12. **सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के फायदाग्रहियों के व्यौरे सम्मिलित है :–**
विश्वविद्यालय द्वारा कोई सहायिकी(Subsidy)प्रदान नहीं की जाती है।

13. **विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां**
विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्रों, प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ता फर्म शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुसार किया जाता है।

14. **किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित होगा :–**
विश्वविद्यालय द्वारा ऑन लाईन जनसूचना, ग्रीवान्स की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

15. **सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां , जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है :–**
सूचना अभिप्राप्त करने वाले नागरिकों को मांगी गयी सूचना उनके ईमेल पर ही उपलब्ध करा दी जाती है तथा उनके लिये अतिथि कक्ष की व्यवस्था भी है।

16. **लोक सूचना अधिकारियो के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां :–**

प्रथम अपीलीय अधिकारी	:– प्रो0 मुकेश पाण्डेय, कुलपति
जनसूचना अधिकारी	: – श्री विनय कुमार सिंह, कुलसचिव
सहा0 जनसूचना अधिकारी	:– श्री संतोष कुमार सिंह, सहा0 कुलसचिव

17. विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सूचनायें समय समय पर विश्वविद्यालय की बेबसाईट पद प्रदर्शित की जाती है तथा उनको अद्यतन भी किया जाता है।

दिनांक :–**25 फरवरी, 2022**

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वित्तीय वर्ष 2020—2021 की संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2021—2022 की अनुमानित आय का संक्षिप्त विवरण।

क0 सं0	आय का शीर्षक	वास्तविक आय 2019—2020	मूल अनुमान 2020—2021	वास्तविक आय दस माह	संशोधित आय 2020—2021	मूल अनुमान 2021—2022	अभ्युक्ति
1.	विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के नियमित छात्रों से प्राप्त शुल्क	72704005	70826100	54461097	61000000	79174450	विवरण पृष्ठ संख
2.	महाविधालयों के संस्थागत छात्रों से प्राप्त शुल्क	205462978	239800000	241044440	258200978	272234105	विवरण पृष्ठ सं
3.	व्यक्तिगत छात्रों से प्राप्त शुल्क	76162060	87150000	73044500	93202570	97285320	विवरण पृष्ठ सं
4.	व्यक्तिगत छात्रों से अग्रसारण शुल्क	870285	1000000	550395	1727235	1778880	विवरण पृष्ठ सं
5.	विकास शुल्क (संस्थागत / व्यक्तिगत)	151483900	175000000	140721750	201035100	207043900	विवरण पृष्ठ सं
6.	एल्युमिलाई शुल्क (संस्थागत / व्यक्तिगत)	24465694	28500000	17312700	25267300	26022400	विवरण पृष्ठ स
7.	(अ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित प्रवेश आवेदन—पत्रों, पाठ्यक्रमों परीक्षा सम्बन्धी प्रपत्रों आदि की बिक्री	10067893	5466000	8757281	9017350	12066000	विवरण पृष्ठ स
	(ब) सम्पत्ति नष्ट पदार्थों रद्दी आदि की बिक्री।	1100000	4000000	23646	1000000	4000000	विवरण पृष्ठ
8.	विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं से आय	12487368	16010000	10695712	12813160	14150000	विवरण पृष्ठ
	योग :—	554804183	627752100	546611521	663263693	713755055	

क्र0 सं0	आय का शीर्षक	वास्तविक आय 2019—2020	मूल अनुमान 2020—2021	वास्तविक आय दस माह	संशोधित आय 2020—2021	मूल अनुमान 2021—2022	अभ्युक्ति
	पूर्व पृष्ठ से	554804183	627752100	546611521	663263693	713755055	
9.	सावधि खाते में विनियोजित धनराशि के भुगतान से अर्जित ब्याज	101203299	110000000	115581588	120000000	120000000	विवरण पृष्ठ संख्य
10.	सम्बद्धता एवं मान्यता शुल्क	11528236	20000000	3404520	10000000	20000000	विवरण पृष्ठ संख्य
11.	विविध आय	18075697	19230000	9165054	13090000	19230000	विवरण पृष्ठ संख्य
12.	दान	0	1000	0	1000	0	विवरण पृष्ठ संख
13.	छात्रवृत्ति	155467	200000	0	200000	200000	विवरण पृष्ठ संख
14.	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान (I.Q.A.C.)	394000	594000	8469	1494000	1314000	विवरण पृष्ठ संख
15.	स्ववित्त पोषित योजना से 20 प्रतिशत वि0 वि0 अंश	0	62500000	0	60000000	76999976	विवरण पृष्ठ संर
16.	बी.यू.आई.सी. से प्राप्त आय	1443956	1500000	319860	500000	1500000	खाता पृथक से
	योग :—	687604838	841777100	675091012	868548693	952999031	
17.	वि0 वि0 अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान (भारत सरकार)	13700927	3655000	0	16205612	16752993	विवरण पृष्ठ स
18.	अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान (भारत सरकार)	8733353	23555456	0	0	19125191	विवरण पृष्ठ
19.	पूँजीगत (शासकीय अनुदान)	0	90000000	0	167000000	167000000	विवरण पृष्ठ

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वित्तीय वर्ष 2020–2021 का संशोधित व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2021–2022 का मूल अनुमानित व्यय का संक्षिप्त विवरण।

क्र0 सं0	व्यय का शीर्षक	वास्तविक व्यय 2019–2020	मूल अनुमान 2020–2021	वास्तविक व्यय दस माह	संशोधित व्यय 2020–2021	मूल अनुमान 2021–2022	अभ्युवि
1.	संकायों के शिक्षक वर्ग को वेतन तथा भत्ते						
(अ)	शिक्षक वर्ग	85069229	176667230	66330911	93196795	147355803	विवरण पृष्ठ
(ब)	अतिरिक्त पदों हेतु	0	17989200	0	0	0	
(स)	विशेष / विशिष्ट व्याख्यान हेतु पारिश्रमिक	129982	250000	2000	50000	250000	विवरण पृष्ठ
2.	विश्वविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु वेतन तथा भत्ते						
(अ)	अधिकारी वर्ग	9317131	23299720	8469885	12318730	20819648	विवरण पृष
(ब)	अतिरिक्त पदों हेतु	0	8145200	0	0	0	
(स)	तृतीय श्रेणी	105312796	199184934	75238622	100513510	175279626	विवरण पृ
(द)	अतिरिक्त पदों हेतु	0	25911320	0	0	0	
(य)	चतुर्थ वर्ग	30677888	61270136	22881104	37110980	68888692	विवरण पृ
(र)	अतिरिक्त पदों हेतु	0	7306940	0	0	0	
(ल)	प्राविधिक वर्ग	8104945	19338768	7061839	11220094	14153581	विवरण पृ
(व)	अतिरिक्त पदों हेतु	0	8615640	0	0	0	
3.	अन्त0 केन्द्र / ऑडी0 / इण्डोर हेतु अतिरिक्त पद						
(अ)	तृतीय वर्ग	0	1826500	0	0	1826500	विवरण
(ब)	तकनीकी एवं चतुर्थ वर्ग	0	5636780	0	0	5636780	विवरण
	योग :–	238611971	555442368	179984361	254410109	434210630	

वित्तीय वर्ष 2020–2021 का संशोधित व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2021–2022 का मूल अनुमानित व्यय का संक्षिप्त विवरण।

क0 सं0	व्यय का शीर्षक	वास्तविक व्यय 2019–2020	मूल अनुमान 2020–2021	वास्तविक व्यय दस माह	संशोधित व्यय 2020–2021	मूल अनुमान 2021–2022	अभ्‍
	पूर्व पृष्ठ से	238611971	555442368	179984361	254410109	434210630	
4.	कार्यालय व्यय	36925043	59550000	31770718	51000000	59550000	विवरण
5.	मुद्रण	44619528	74060000	28221589	38555000	84060000	विवरण
6.	परीक्षा संचालन पर व्यय	84991412	136430000	16657339	71750000	141430000	विवरण
7.	विद्वत व्यय (शैक्षणिक विभागों पर व्यय)	1339443	7759000	498025	6575000	7929000	विवरण
8.	पुस्तकालय	1363979	11850000	1033563	7300000	13100000	विवरण
9.	भवनों की वार्षिक मरम्मत	8074094	18000000	1312221	17000000	18000000	विवरण
10.	छात्रावासों की सुविधाओं पर व्यय	2359241	5789000	711584	3000000	5789000	विवरण
11.(अ)	फर्नीचर, उपस्कर, कूलर, पंखों आदि की मरम्मत एवं कय (विश्वविद्यालय कार्यालय)	2211041	10000000	931488	3500000	10000000	विवरण
(ब)	फर्नीचर, उपस्कर, कूलर, पंखों आदि की मरम्मत एवं कय (संकाय भवन)	4085425	10000000	721845	3500000	10000000	विवरण
(स)	जीराक्स, ए.सी., फ्रिज, वाटर कूलर का रखरखाव	1583765	3000000	371738	1500000	3000000	विवरण
12.	खेलकूद	1625368	4000000	267061	2000000	4000000	विवरण
13.	स्वास्थ्य, अंशकालिक चिकित्सक एवं चिकित्सा सुविधायें	26494	500000	39990	850000	850000	विवरण
	योग :–	427816804	896380368	262521522	460940109	791918630	

वित्तीय वर्ष 2020–2021 का संशोधित व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2021–2022 का मूल अनुमानित व्यय का संक्षिप्त विवरण।

क0 सं0	व्यय का शीर्षक	वास्तविक व्यय 2019–2020	मूल अनुमान 2020–2021	वास्तविक व्यय दस माह	संशोधित व्यय 2020–2021	मूल अनुमान 2021–2022	अभ्युक्ति
	पूर्व पृष्ठ से	427816804	896380368	262521522	460940109	791918630	
14.	विश्वविद्यालय की सदस्यता शुल्क तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान	550000	700000	578930	700000	700000	विवरण पृष्ठ संख्या
15.	कम्प्यूटर के कय एवं रख–रखाव पर व्यय	4055535	4000000	1975176	4000000	4000000	विवरण पृष्ठ संख्य
16.	सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत वापसी	0	800000	0	800000	800000	विवरण पृष्ठ संख्य
17.	कन्टनजेन्सी व्यय	35644200	44520000	31979383	42501000	47020000	विवरण पृष्ठ सख
18.	विविध व्यय	10219429	28216000	1794792	14566000	27316000	विवरण पृष्ठ सख
19.	पूँजीगत व्यय (वि0वि0 स्रोतों से)	15021897	90200000	9033304	37050000	84900000	विवरण पृष्ठ सं
20.	राज्य सरकार से प्रदत्त अनुदान पर व्यय	217493	897000	1349146	2820000	1314000	विवरण पृष्ठ सं
21.	गरीब छात्र/छात्राओं हेतु आर्थिक सहायता	0	1000000	0	1000000	1000000	विवरण पृष्ठ सं
22.	20 प्रतिशत वि.वि. अंश के विरूद्ध व्यय	15958853	45020000	8916151	27964000	47985000	विवरण पृष्ठ सं
23.	वि0वि0 के शिक्षकों हेतु लघु शोध कार्य पर व्यय	0	1000000	0	100000	1000000	विवरण पृष्ठ सं
24.	बी.यू.आई.सी. से सम्बन्धित व्यय	640202	1500000	200057	550000	1000000	विवरण पृष्ठ स
	योग :–	510124413	1114233368	318348461	592991109	1008953630	
25.	यू.जी.सी. अनुदान से व्यय	0	3655000	547381	16205612	16752993	विवरण पृष्ठ स
26.	अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान से व्यय	812290	23555456	549276	1000000	23555456	विवरण पृष्ठ स
27.	पूँजीगत व्यय (शासन के अनुदान से)	0	90000000	0	167000000	167000000	विवरण पृष्ठ स
28.	पूंजीगत व्यय (गत वर्षा की बचतों से)	0	148000000	0	35650000	106100000	विवरण पृष्ठ स

P